

जनसत्ता, 22 मार्च, 2017 5

www.financialexpress.com

WEDNESDAY | MARCH 22 | 2017



अनंत राज लिमिटेड

(पूर्व में अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से विदित)

CIN: L45400HR1985PLC021622

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएफटी मनेसर, गुर्गांव हरियाणा 122051

प्रधान कार्यालय: एच-65 कॉन्नाउट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-43034409,

ई-मेल: manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाइट: www.anantrajlimited.com

कम्पनी की शेयरधारकों के लिए सूचना

कम्पनी की इक्विटी शेयरों का निवृत्त शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफ) में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") 28.02.2017 को आईईपीएफ संशोधन नियमावली, 2017 के रूप में यथा-संशोधित, के नियम 6(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के अनुसार अनंत राज लिमिटेड ("कम्पनी") के शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है:

उपरोक्त नियमावली के अनुसार यदि कोई शेयरधारक लगातार पिछले सात वर्षों या उससे अधिक अवधि से लाभांश राशि का कोई दावा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा धारित शेयरों को नियमावली के अनुसार गठित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") में अंतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार, ऐसे अधोलिखित शेयरों जिस पर वर्ष 2008-09 से लगातार पिछले सात वर्षों या उससे अधिक अवधि से शेयरधारक को लाभांश का मुगता/दावा नहीं किया गया है (वर्ष 2008-09 के लिए लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण में पहले ही अंतरित कर दी गई है) को, ऐसे शेयरों का अंतरण नियत होने अर्थात् 31 मई, 2017 से तीस दिनों की अवधि के भीतर निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफ) की डीमैट खाता में क्रेडिट किया जाएगा।

नियमावली में निर्दिष्ट विभिन्न अपेक्षाओं के अनुसरण में कम्पनी ने ऐसे संबंधित शेयर धारकों जिनकी शेयरों को उक्त नियमावली के अंतर्गत आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है। ऐसे शेयरधारकों के विवरणों को कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् <http://www.anantrajlimited.com/Investors> पर भी प्रेषित कर दिया गया है। अतएव, संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि सूचना की तिथि से 3 महीने के भीतर दावा-रहित लाभांश का दावा प्रस्तुत करें, अन्यथा शेयरों को आईईपीएफ की डीमैट खाता में अंतरित कर दिया जाएगा।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों तथा जिनके शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, वे ध्यान रखें कि भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के संदर्भ में कम्पनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरण के उद्देश्य से मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी की जाएगी तथा ऐसे निर्गम के उपरान्त मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे अ-विचारणीय माना जाएगा। डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के बाद कम्पनी द्वारा डीमैट पद्धति में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों के रूपांतरण तथा प्राधिकरण के पक्ष में अंतरण करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित की जाएगी। डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के लिए कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा डिपॉजिटरीज के माध्यम से शेयरों के अंतरण का प्रॉसेस करेगी। शेयरधारक यह ध्यान रखें कि इस सूचना को कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

कृपया ध्यान रहे कि आईईपीएफ नियमावली के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित दावा रहित लाभांश राशि तथा शेयरों के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जा सकती है। लेकिन, ऐसे शेयरों पर उपचयित सभी लाभांश, यदि कोई हो, सहित दावा-रहित तथा अप्रदत्त लाभांश जिसे पहले ही अथवा ऐसे शेयरों जिसे कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित की जा रही है, का उसकी वेबसाइट अर्थात् <http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html> पर दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ से शेयर धारकों द्वारा वापस प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है।

उपरोक्त का ध्यान रखते हुए यह कंपनी एतद्वारा अपने ऐसे सदस्यों जिन्होंने लगातार पिछले 7 वर्षों से अपने लाभांश वारन्ट्स का अभी तक दावा नहीं किए हैं, से अनुरोध करती है कि कृपया यथा शीघ्र आवश्यक विवरणों (जैसे फोलियो नं., डीपी-आईडी (यदि कोई हो), वर्तमान पता तथा संपर्क संख्याओं) का उल्लेख करते हुए ऊपर वर्णित उसके प्रधान कार्यालय के पते पर कंपनी से अथवा नीचे वर्णित रूप में कंपनी के रजिस्ट्रार एंव शेयर अंतरण से संपर्क करें:

अलंकित एसाइन्मेंट्स लिमिटेड

यूनिट: अनंत राज लिमिटेड

अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

फोन: 011-42541955, 42541960, ईमेल: rta@alankit.com

यदि उक्त विषय-वस्तु अथवा नियमावली पर शेयर धारकों को कोई जिज्ञासा हो, वे अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें।

बोर्ड के आदेश से
अनंत राज लिमिटेड के लिए
हस्ता.

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 20.03.2017

मनोज पाहवा
कंपनी सचिव



ANANT RAJ LIMITED

(Formerly known as ANANT RAJ INDUSTRIES LTD.)

CIN: L45400HR1985PLC021622

Regd. Office : Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana-122051

Head Office: H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001

Phone : 011-43034409, 41540070, 43559149

E-mail : manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA)

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 6(3) of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), as amended on 28/02/2017 as IEPF Amendment Rules 2017, Notice is hereby given to the shareholders of Anant Raj Limited ("the Company") as under

As per said Rules, if a shareholder does not claim the dividend amount for a consecutive period of seven years or more, then the shares held by him/her shall be transferred to the Investors Education and Protection Fund Authority (IEPFA) constituted in accordance with the Rules. Accordingly, underlying shares on which dividends have not been paid or claimed by a shareholder for a period of seven consecutive years or more from the year 2008-09 (dividend for the year 2008-09 has already been transferred to IEPF Authority), shall be credited to DEMAT Account of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred i.e. May 31, 2017.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPFA under the said Rules for taking appropriate action(s). The details of such shareholders are also posted on the website of the Company i.e. <http://www.anantrajlimited.com/Investors>. The concerned shareholders are thus requested to claim the unclaimed dividend within three months from the date of notice, otherwise the shares shall be transferred to DEMAT Account of IEPFA

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to DEMAT Account of IEPFA, may note that with respect to the shares held in physical form, the Company would issue duplicate share certificate in lieu of original share certificate for the purpose of transfer to IEPFA and upon such issue, the original share certificate will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. After issue of duplicate share certificates the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the Authority. For shares held in demat mode, the Company will process the transfer of shares through Depositories by way of Corporate Action in favour of IEPF Authority. The Shareholder may note that this Notice shall be treated as adequate Notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amounts and the shares so transferred to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules. However, unclaimed or unpaid dividend which have already been or the shares which are being transferred by the Company to IEPFA including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from IEPFA by following the procedure given on its website i.e. <http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html>.

In view of the above, the company hereby request its members who have not yet claimed their dividend warrant(s) for the last 7 consecutive years to please contact giving necessary details (i.e. Folio No., DP-ID (if any), current address and Contact numbers) at the earliest, to the Company at its Head Office address as mentioned above OR to Company's Registrar & Share Transfer Agent as given below :

Alankit Assignments Limited

Unit : ANANT RAJ LIMITED

Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi 110 055

Phone : 011-42541955, 42541960 Email : rta@alankit.com

In case the shareholders have any queries on the subject matter or the Rules, they may contact the undersigned.

By order of the board
For Anant Raj Limited
sd/-

Place : New Delhi
Date : 20-03-2017

Manoj Pahwa
Company Secretary